RB-2298

RBE No. 136 /2012

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

-,

New Delhi, Date: 03 12

2012

,上, [1][12]

NO.E (G) 2012 QR-1-15

The General Managers, All Indian Railways/Production Units, (As per standard list).

Sub: Retention of Railway accommodation at the previous place of posting by Railway officers/Staff posted to Rail Wheel Plant (RWP)/Bela ( Dist.Saran, Bihar).

The issue of permitting the Railway Officers/Staff posted at the Rail Wheel Plant (RWP) Bela ( Distt. Saran /Bihar) to retain Railway accommodation at their previous place of posting has been considered by the Board.

- 2. In order to attract suitable personnel to join the project the full Board, in exercise of the powers vested with them to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees in all or any of the existing provisions regarding house allotment/retention, have decided that permission for retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to RWP/Bela be allowed for a period of five (05) years on payment of normal rent.
- 3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Invomençal (S.Pal)

Jt. Dir. Estt.(Genl.)

NO:E(G) 2012 QR 1-15

New Delhi, Dated: 03 12 2012

Copy (with 46 spares) to Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

07 DEC 2002

For Financial Commissioner/Railways.

Contd. in Page 2/-

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी) 2012 क्यूआर 1-15

नई दिल्ली, दिनांक**ा** / 12 **/** 2012

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, (मानक सूची के अनुसार)

> विषयः रेल पहिया संयंत्र (आरडब्ल्यूपी)/बेला (जिला सरन, बिहार) में तैनात रेलवे अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखना।

रेल पहिया संयंत्र (आरडब्ल्यूपी)/बेला (जिला सरन, बिहार) में तैनात रेलवे अधिकारियों/ कर्मचारियों को तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमित देने के मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

- 2. इस परियोजना को जॉइन करने के लिए उपयुक्त कार्मिकों को आकर्षित करने हेतु पूरे बोर्ड ने मकान के आबंटन/इसे अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्ही मौजूदा प्रावधानों में कर्मचारियों की श्रेणी/ग्रुप के लिए जनहित में समुचित रियायत देने के लिए उनके पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय किया है कि रेलवे पहिया संयंत्र/बेला में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास रखने की अनुमित सामान्य किराए का भुगतान करने पर पाँच (05) वर्ष की अविध के लिए दी जाए।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- 4. कृपया पावती दें।

मुभीमीम पाल ( एस. पाल)

संयुक्त निदेशक, स्थापना( सा.)

सं. ई(जी) 2012 क्यूआर 1-15

नई दिल्ली, दिनांक*े 3/2/*2012

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

्मि: ऋष्टिके किंते कृते वित्त आयुक्त/रेलें

.....2/----